



मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1973

(म. प्र. चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1975 एवं
म. प्र. चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा
संशोधित स्वरूप में)

मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) नियम, 1973

(म. प्र. चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) संशोधन नियम, 2006 द्वारा
संशोधित स्वरूप में)

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2006

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 15-10/06/2/पचपन

भोपाल, दिनांक 29-6-2006

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
पुलिस अधीक्षक (समस्त)
अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (समस्त)
प्रधानाचार्य, शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी महाविद्यालय (समस्त)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
जिला आयुर्वेद अधिकारी (समस्त)
जिला लोक अभियोजन अधिकारी (समस्त)

विषय:—मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1973 को प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू करने बाबत.

गत विधान सभा सत्र में उपरोक्त अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन पारित किये गये हैं. इनके माध्यम से प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं तथा गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सकों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लागू किया गया है जो लोक स्वास्थ्य एवं जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रदेश के व्यापक हित में नितांत महत्वपूर्ण है. संशोधित अधिनियम 14-6-2006 से लागू किया गया है. कृपया संलग्न अधिनियम व नियमों का अवलोकन करें, इसके महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न हैं:—

1. डाक्टर शब्द के उपयोग पर नियंत्रण.—प्रदेश में वही व्यक्ति (चिकित्सा व्यवसाय करने वाले) अपने नाम के साथ डाक्टर लिख सकते हैं, जो मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता रखते हों और विधि द्वारा स्थापित बोर्ड या परिषद् में रजिस्ट्रीकृत हों.
2. चिकित्सा शिक्षा को परिभाषित करना.—आज प्रदेश में एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा कोई भी अन्य चिकित्सा पद्धति जिसके माध्यम से चिकित्सा शिक्षा दी जाती है, को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है. आपको ज्ञात होगा कि पूर्व में गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियों की शिक्षण संस्थाएं बिना समुचित मान्यता, स्वीकृति एवं मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था किये बिना प्रदेश में अनेकों स्थान पर खुल जाती रही हैं व नागरिकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर उनके साथ धोखाधड़ी की स्थिति निर्मित होती थी. आज कोई भी चिकित्सा पद्धति हो जिसकी चिकित्सा शिक्षा संस्था प्रदेश में स्थापित की जाती है, को अधिनियम के अंतर्गत अनुमति आवश्यक होगी.
3. चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं पर नियंत्रण.—अधिनियम की धारा 3 में चिकित्सा शिक्षा संस्थान की स्थापना, सहायता करना, उपाधि, पत्रोपाधि या प्रमाण-पत्र जारी करने या जारी करने में सहायता करना सभी आ जाते हैं.
4. वर्तमान में प्रचलित गैर मान्यता प्राप्त संस्था.—यदि कोई संस्था जो वर्तमान में मान्यता/अनुमति नहीं रखती है, अधिनियम लागू होने पर संस्थान चलाना चाहती है तो उसे अधिनियम अनुसार अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा जिसका प्रारूप आदि नियत है.
5. निरीक्षण एवं निलंबन की शक्ति.—धारा 5-क तथा ख में संबंधित प्रावधान है जो महत्वपूर्ण है. जिन संस्थाओं को राज्य शासन की अनुमति प्राप्त नहीं है उनके विरुद्ध अभियोजन के लिये राज्य शासन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है. मान्यता विहीन चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक जो विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/कौंसिल में पंजीकृत नहीं हैं के विरुद्ध डाक्टर शब्द का उपयोग कर चिकित्सा व्यवसाय करने का अपराध करने संबंधी अभियोजन के लिये भी राज्य शासन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है.

6. दंड के प्रावधान.—अधिनियम की धारा 8 में अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन पर 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडित करने का कड़ा प्रावधान किया गया है. धारा 7-ग के उल्लंघन में कारावास की कालावधि 3 वर्ष तक व जुर्माना 50 हजार रुपये तक का प्रावधान है. उल्लेखनीय है कि धारा 7 ग का संबंध गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सकों से है. आपको ज्ञात होगा कि हाल ही में राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली से गैर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं पर राष्ट्रपति जी के सचिवालय से पत्र प्राप्त हुआ है व ऐसी संस्थाओं पर कड़ी आपत्ति की गई है.
7. कृपया आप अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से इस प्रावधान को प्रचारित करें और यह सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र में एक भी संस्था न हो जो इस कानून के उल्लंघन में संचालित हो रही हो. यदि ऐसी कोई संस्था पायी जाती है तो उस पर नियमानुसार आगे कार्यवाही की जावे.

कृपया पालन प्रतिवेदन दें.

संलग्न:—उपरोक्तानुसार

हस्ता./-

(मदनमोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग.

पृष्ठा. क्रमांक एफ 15-10/06/2/पचपन

भोपाल, दिनांक 29-6-2006

प्रतिलिपि:—

1. संभागायुक्त (समस्त).
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश.
3. संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश.
4. संचालक, चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश.
5. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-

(मदनमोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग.

मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था, (नियंत्रण) अधिनियम, 1973

क्रमांक 19 सन् 1973

यथा संशोधित

संशोधन अधिनियम क्र. 16 सन् 1975 एवं संशोधन अधिनियम 15 सन् 2006

विषय सूची

धारायें :

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार.
2. परिभाषाएं.
3. चिकित्सीय शिक्षा संस्था को स्थापना करने, उसके प्रशासन तथा उसके चलाये जाने पर निर्बन्धन.
4. यह अधिनियम कतिपय चिकित्सीय शिक्षा संस्थाओं को लागू नहीं होगा.
5. नवीन चिकित्सीय शिक्षा संस्थाओं के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित होगी.
6. अपील.
7. इस अधिनियम के लागू होने की तिथि के पूर्व स्थापित की गई चिकित्सीय शिक्षा संस्था के चालू रखे जाने के लिए अनुज्ञा.
8. शास्ति.
9. अभियोजन के लिए मंजूरी.
10. नियम बनाने की शक्ति.
11. निरसन.

मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था, (नियंत्रण) अधिनियम, 1973

यथा संशोधित

संशोधन अधिनियम 1975 एवं संशोधन अधिनियम 2006

[दिनांक 6 अप्रैल 1973 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 7 अप्रैल 1973 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

राज्य में की चिकित्सीय शिक्षा संस्थाओं के उचित विनियमन के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,—

संक्षिप्त नाम तथा
विस्तार.

1. (1) यह अधिनियम मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1973 कहा जा सकेगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "चिकित्सीय शिक्षा संस्था" से अभिप्रेत है चिकित्सीय शिक्षा देने वाली कोई भी संस्था.

*1. "(कक) "डाक्टर" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, जिसके पास मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता हो और जो तत्समय प्रवृत्त इस निमित्त विधि द्वारा स्थापित बोर्ड या परिषद् (काउंसिल) या इसी प्रकार की किसी अन्य संस्था में रजिस्ट्रीकृत हो."

(ख) "चिकित्सा" से अभिप्रेत है—

(एक) इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 (क्रमांक 102 सन् 1956) की धारा 2 के खण्ड (एक) के अर्थ के अंतर्गत चिकित्सा;

(दो) मध्यप्रदेश होमियोपैथिक एण्ड बायोकेमिक प्रेक्टिशनर्स एक्ट, 1951 (क्रमांक 26 सन् 1951) की धारा 2 के खण्ड (3) तथा (1) के अर्थ के अंतर्गत क्रमशः समचिकित्सा तथा जीवरसायनिक चिकित्सा;

(तीन) मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन् 1971) की धारा 2 के खण्ड (ख), (ड़) तथा (ठ) के अर्थ के अंतर्गत क्रमशः आयुर्वेदिक पद्धति की चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा या यूनानी पद्धति की चिकित्सा;

*2. (चार) समस्त अन्य औषधियां, चिकित्सा-विधियां या पद्धतियां."

*3. "(ग) "चिकित्सीय शिक्षा" से अभिप्रेत है चिकित्सा की ऐसी शिक्षा जो—

(एक) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 2 के खण्ड (ज) के अर्थ के अंतर्गत किसी चिकित्सीय अर्हता के लिये तैयार करने के प्रयोजनार्थ हो;

- (दो) मध्यप्रदेश होमियोपैथिक एण्ड बायोकेमिक प्रेक्टिशनर्स एक्ट, 1951 (क्रमांक 26 सन् 1951) की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ के अन्तर्गत चिकित्सीय अर्हता के लिये तैयार करने के प्रयोजनार्थ हो;
- (तीन) मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन् 1971) की धारा 2 के खण्ड (ज) के अर्थ के अन्तर्गत चिकित्सीय अर्हता के लिये तैयार करने के प्रयोजनार्थ हो;
- (चार) किसी अन्य चिकित्सीय अर्हता के लिये तैयार करने के प्रयोजनार्थ हो;''
- (घ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है भारत में का कोई भी विश्वविद्यालय जो विधि द्वारा स्थापित किया गया हो तथा जिसमें चिकित्सा का संकाय हो.

*4. "3. संविधान के अनुच्छेद 30 के उपबन्धों के अध्यक्षीय रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना, किसी चिकित्सीय शिक्षा संस्था की न तो स्थापना करेगा, न स्थापना करने में उसकी सहायता करेगा, तथा न तो ऐसी संस्था की चिकित्सीय शिक्षा की कोई उपाधि, पत्रोपाधि या प्रमाण-पत्र जारी करेगा, न जारी करने में उसकी सहायता करेगा,"

बिना अनुज्ञा के चिकित्सीय शिक्षा संस्था की स्थापना करने, उसके प्रशासन तथा उसके विज्ञापन पर प्रतिबंध.

*5. 4. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से चाहे अकेले या संयुक्त रूप से स्थापित की गई तथा चाहे अकेले या संयुक्त रूप से प्रशासित की गई या चाहे अकेले या संयुक्त रूप से चलाई गई अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, चाहे अकेले या संयुक्त रूप से, प्रायोजित की गई चिकित्सीय शिक्षा संस्थाओं के सिवाए समस्त चिकित्सीय शिक्षा संस्थाओं को लागू होगा.

इस अधिनियम का लागू होना.

5. (-1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी चिकित्सीय शिक्षा संस्था की स्थापना करने और उसका प्रशासन करने या उसको चलाने की वांछा करता हो, ऐसी चिकित्सीय शिक्षा संस्था स्थापित करने और उसका प्रशासन करने या उसे चलाने के लिए अनुज्ञा दी जाने के हेतु आवेदन, ऐसे प्ररूप में उसके साथ ऐसा निक्षेप संलग्न करके जैसा कि विहित किया जाए, राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे उस शिक्षा सत्र के जिससे कि ऐसी संस्था का आरंभ किया जाना प्रस्तावित हो, प्रारंभ होने के कम से कम एक वर्ष पूर्व करेगा. वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसा आवेदन किया गया हो, उस चिकित्सीय शिक्षा संस्था के बारे में ऐसी जानकारी देगा जिसकी कि राज्य सरकार या ऐसा प्राधिकारी अपेक्षा करे.

नवीन चिकित्सीय शिक्षा संस्थाओं के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित होगी.

(2) प्रत्येक ऐसे आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात्:—

- (क) प्रस्तावित चिकित्सीय शिक्षा संस्था का नाम;
- (ख) उस व्यक्ति का नाम या उन व्यक्तियों के नाम जो उस चिकित्सीय शिक्षा संस्था को स्थापित करने या उसका प्रशासन करने का प्रस्ताव करते हों/करता हो;
- (ग) वह स्थान जहां वह चिकित्सीय शिक्षा संस्था स्थापित करना प्रस्तावित है;
- (घ) उस चिकित्सीय शिक्षा संस्था के लिए चिकित्सीय शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण के ब्यौरे;
- (ङ) उस चिकित्सीय शिक्षा संस्था की स्थापना के लिए कारण;
- (च) प्रभारित की जाने के लिए प्रस्तावित फीस जिसके कि अन्तर्गत प्रवेश फीस, शिक्षण फीस, खेलकूद, पुस्तकालय फीस तथा अन्य फीस आती है;
- (छ) वह सत्र जिससे कि उस चिकित्सीय शिक्षा संस्था का आरंभ किया जाना प्रस्तावित है;
- (ज) प्रस्तावित कर्मचारीवृन्द तथा उनकी अर्हताएं;
- (झ) प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, चिकित्सालय, शल्यकर्मशाला आदि की सुविधाएं;

- (ज) खेल के मैदान तथा आमोद-प्रमोद संबंधी अन्य सुविधाएं;
- (ट) वह भवन जहां उस चिकित्सीय शिक्षा संस्था का स्थित किया जाना प्रस्तावित है;
- (ठ) निधियां;
- (ड) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो कि विहित की जाएं.

(3) आवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार, उस दशा में जबकि ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् तथा उन व्यक्तियों को, जिनके कि नाम, आवेदन में प्रस्तावक के रूप में उल्लिखित किये गये हैं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाए कि उस चिकित्सीय शिक्षा संस्था ने इस अधिनियम या उसके बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया है ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के, यदि कोई हो जिन्हें कि वह अधिरोपित करना उचित समझे, अध्यक्षीन रहते हुए अनुज्ञा देगी:

परन्तु कोई भी अनुज्ञा नहीं दी जाएगी यदि राज्य सरकार की राय में यह संभाव्य हो कि ऐसी संस्था आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाएगी या यह संभाव्य हो कि उसका किसी अन्य संस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या यह संभाव्य हो कि वह अपेक्षित स्तर की चिकित्सीय शिक्षा नहीं दे सकेगी:

*6. परन्तु यह और भी कि जहां किन्हीं निबंधनों तथा शर्तों के अध्यक्षीन ऐसी अनुज्ञा दी गई हो और यह अपेक्षित किया गया हो कि ऐसे निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन उसमें (अनुज्ञा में) विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर किया जाए वहां वह अनुज्ञा, उन निबंधनों तथा शर्तों का राज्य सरकार के समाधान योग्य रूप से अनुपालन, विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर न किया जाने पर ऐसी कालावधि का अवसान हो जाने पर प्रत्याहृत हो जाएगी यदि राज्य सरकार ऐसे अवसान के पूर्व उस कालावधि को बढ़ा नहीं देती है तथा कालावधि के बढ़ा दिये जाने की दशा में वह अनुज्ञा बढ़ाई गई कालावधि का अवसान हो जाने पर प्रत्याहृत हो जाएगी.

(4) जहां राज्य सरकार अनुज्ञा देने से इन्कार कर दे, वहां वह इन्कारी के आदेश को, जिसमें कि ऐसी अनुज्ञा के लिए इन्कार कर देने के कारण विनिर्दिष्ट किये जाएंगे, संसूचना देगी.

निरीक्षण.

*7. 5. (क) जहां संचालक, चिकित्सा शिक्षा या संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति का यह अभिमत है कि इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात चिकित्सीय शिक्षा संस्था का निरीक्षण किया जाना चाहिए वह निरीक्षण के लिए ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली निरीक्षण समिति का गठन करेगा, जो वह उचित समझे तथा ऐसी संस्था का प्रमुख, निरीक्षण समिति को निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा तथा निरीक्षण के लिए आवश्यक इंतजाम करेगा तथा ऐसी समिति के साथ सहयोग करेगा.

अनुज्ञा निलंबित या प्रतिसंहत करने की शक्ति.

*8. (ख) (1) जहां सरकार का यह निष्कर्ष हो कि चिकित्सीय शिक्षा की किसी संस्था को, जिसे इस अधिनियम के अधीन संस्था को स्थापित करने तथा चलाने की अनुज्ञा दी गई है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है, तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, आदेश द्वारा, उसमें यथाविनिर्दिष्ट की गई कालावधि के लिए अनुज्ञा को निलंबित कर सकेगी और यदि संस्था, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर राज्य सरकार का समाधान करने में असफल रहती है, तब राज्य सरकार सुनवाई किए जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, अनुज्ञा रद्द या प्रतिसंहत कर सकेगी.

(2) जहां संस्था की अनुज्ञा निलंबित, प्रतिसंहत या रद्द कर दी गई है, वहां संस्था किसी छात्र को प्रवेश नहीं देगी."

अपील.

*9. 6. (1) धारा के अधीन इन्कारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस अधिकरण को जो कि—

- “(क) प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा विभाग;
- (ख) उस विश्वविद्यालय का, जिसकी कि प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर वह चिकित्सीय शिक्षा संस्था स्थित हो, कुलपति या उसका नामनिर्देशिती;
- (ग) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश;
- (घ) सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश;
- (ड) संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी, मध्यप्रदेश;”

से मिलकर बना हो धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन इन्कारी का आदेश अपने को प्राप्त होने की तारीख के साठ दिन के भीतर अपील कर सकेगा, अपील ऐसी रीति में की जाएगी तथा उसके साथ ऐसी फीस होगी जैसी कि विहित की जाए.

(2) प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग उस अधिकरण का अध्यक्ष होगा।

(3) वह अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी कि विहित की जाए।

(4) अपील में उस अधिकरण का जो विनिश्चय हो उसके अध्यक्षीन रहते हुए, राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

*10 7. (1) जहां मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व स्थापित की गई कोई चिकित्सीय शिक्षा संस्था, जिसने राज्य सरकार से अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं की है, चाहे वह किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो या नहीं या किसी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो या नहीं, ऐसी तारीख को प्रशासित की जा रही हो या चलाई जा रही हो, वहां वह व्यक्ति, जो तत्समय प्रवृत्त ऐसी संस्था की स्थापना या उसके प्रशासन या उसे चलाने के लिये उत्तरदायी हो, ऐसी चिकित्सीय शिक्षा संस्था को स्थापना या उसके प्रशासन या उसे चलाने के लिये उत्तरदायी हो, ऐसी चिकित्सीय शिक्षा संस्था को तत्पश्चात् चालू रखने के लिये अनुज्ञा दी जाने हेतु आवेदन, मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने की तारीख से 30 दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी फीस के साथ, जैसी कि विहित की जाए, राज्य सरकार को करेगा।

“चिकित्सीय शिक्षा संस्था को चालू रखे जाने के लिये अनुज्ञा.”

परन्तु इस उपधारा में की कोई भी बात ऐसी चिकित्सीय शिक्षा संस्थाओं को लागू नहीं होगी, जिनके संबंध में आवेदन, मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व किये गये थे.”

*11 (2) धारा 5 तथा 6 के उपबन्ध यथाशक्य, उपधारा (1) के अधीन किये गये आवेदन को लागू होंगे किन्तु इस उपान्तरण के अध्यक्षीन रहते हुए कि राज्य सरकार, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी भी चिकित्सीय शिक्षा संस्था को चालू रहने की अनुज्ञा, धारा 5 की उपधारा (3) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी दे सकेगी।

—*12 (3) वह चिकित्सीय शिक्षा संस्था, जिसे कि इस धारा के उपबन्ध लागू होते हैं तब तक कृत्य करती रहेगी जब तक कि यथास्थिति राज्य सरकार या अधिकरण अनुज्ञा के लिये इन्कार करने का विनिश्चय न कर दें किन्तु ऐसे चालू रहने के दौरान उन विद्यार्थियों के जो कि उस संस्था की निम्न श्रेणी (स्टेण्डर्ड) से उक्त संस्था की किसी उच्चतर श्रेणी (स्टेण्डर्ड) में चढ़ाये गये हों, सम्बन्ध में के सिवाय किसी भी श्रेणी में नवीन प्रवेश नहीं दिये जायेंगे।

*13 “(4) चिकित्सीय शिक्षा की प्रत्येक संस्था जो मध्यप्रदेश राज्य में चलाई जा रही है या चलाई जा रही थी, तथा जिसने धारा 5 के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं की है, ऐसी संस्था की स्थापना तथा उसके कृत्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारी, जो विहित की जाए, मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने की तारीख से 60 दिन के भीतर राज्य सरकार को देगी।”

*14 7-क. (1) किसी चिकित्सीय शिक्षा संस्था के संबद्ध किये जाने के मामले में, विश्वविद्यालय या बोर्ड ऐसे निर्देशों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा जैसे कि राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के परामर्श से उसे दे।

संबद्ध किये जाने के मामले में निर्देश देने की राज्य सरकार की शक्ति

(2) राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिये गये समस्त निर्देश मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के माध्यम से दिये जायेंगे।

(3) विश्वविद्यालय या बोर्ड उस अधिनियम के अधीन, जिसके कि अधीन उसका गठन किया गया है, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगा।

*15 7-ख (1) कोई भी चिकित्सीय शिक्षा संस्था, जिसे कि धारा 5 या धारा 7 के अधीन अनुज्ञा दी गई है, राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना बन्द नहीं की जाएगी।

चिकित्सीय शिक्षा संस्थाओं को बंद करने को प्रतिषेध

(2) जहां राज्य सरकार अनुज्ञा देने से इन्कार कर दे, वहां वह इन्कारी के आदेश की संसूचना ऐसी अनुज्ञा के लिये इन्कार कर देने का कारण विनिर्दिष्ट करते हुए देगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन इन्कारी के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील धारा 6 के अधीन गठित किये गये अधिकरण को होगी और उस धारा के उपबन्ध ऐसी अपील को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे उस धारा के अधीन की गई अपील को लागू होते हैं तथा अपील में उस अधिकरण का जो आदेश हो उसके अध्यक्षीन रहते हुए, राज्य सरकार का उपाधारा (1) के अधीन का आदेश अंतिम होगा।

“डाक्टर” अभिधान
का उपयोग.

*16 “7-ग. “डाक्टर” अभिधान का उस व्यक्ति के नाम के साथ उपयोग किया जा सकेगा, जो कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता धारित करता हो और जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड या परिषद् या किसी अन्य संस्था में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, तथा अन्य कोई व्यक्ति स्वयं को चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभिव्यक्त करने के लिये अपने नाम के साथ “डाक्टर” अभिधान का उपयोग नहीं करेगा.”

*17 8. (1) जो कोई धारा 3 या धारा 5-ख या धारा 7 या धारा-7 ख के उपबन्धों का या उन निबन्धनों तथा शर्तों का, जिनके कि अध्यक्षीन रहते हुए धारा 5 या धारा 7 के अधीन अनुज्ञा दी गई हो, उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, और जहां भंग चालू रहने वाला भंग हो, वहां ऐसे और जुर्माने से, जो उस दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके कि संबंध में यह साबित हो जाय कि उसके दौरान भंग जारी रखा गया था, एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(2) जो कोई धारा 7-ग के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.

(3) यदि उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई संस्था या व्यक्तियों का अन्य निकाय हो, तो ऐसी संस्था या अन्य निकाय का प्रत्येक सदस्य जो जानते हुए या जानबूझकर उल्लंघन को प्राधिकृत करेगा या उस उल्लंघन के लिये अनुज्ञा देगा, ऐसे उल्लंघन के लिये इस धारा के अनुसार दण्डनीय होगा.

अभियोजन के लिये
मंजूरी.

*18 9. (1) “धारा 5-ख की उपधारा (2) के अधीन या उन निबन्धनों तथा शर्तों, जिनके अध्यक्षीन रहते हुए धारा 5 या धारा 7 के अधीन अनुज्ञा दी गई है, के अधीन दण्डनीय अपराध के लिये कोई भी अभियोजन राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी, जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में नियुक्त करें, द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं.

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उस संबंध में लिखित में की गई शिकायत पर ही करेगा, अन्यथा नहीं;

नियम बनाने की
शक्ति.

10. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

निरसन.

11. मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अध्यादेश, 1973 (क्रमांक 3 सन् 1973) एतद्वारा, निरस्त किया जाता है.

- *1. संशोधन अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2006 द्वारा अन्तःस्थापित.
- *2. संशोधन अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2006 द्वारा अन्तःस्थापित.
- *3. संशोधन अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2006 द्वारा प्रतिस्थापित.
- *4. संशोधन अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2006 द्वारा प्रतिस्थापित.
- *5. संशोधन अधिनियम क्रमांक 16 सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित.
- *6. संशोधन अधिनियम क्रमांक 16 सन् 1975 द्वारा अन्तःस्थापित.
- *7. संशोधन अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2006 द्वारा अन्तःस्थापित.
- *8. संशोधन अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2006 द्वारा अन्तःस्थापित.
- *9. संशोधन अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2006 द्वारा प्रतिस्थापित.
- *10. संशोधन अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2006 द्वारा प्रतिस्थापित.
- *11. संशोधन अधिनियम क्रमांक 16 सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित.
- *12. संशोधन अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2006 द्वारा प्रतिस्थापित.
- *13. संशोधन अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2006 द्वारा अन्तःस्थापित.
- *14. संशोधन अधिनियम क्रमांक 16 सन् 1975 द्वारा अन्तःस्थापित.
- *15. संशोधन अधिनियम क्रमांक 16 सन् 1975 द्वारा अन्तःस्थापित.
- *16. संशोधन अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2006 द्वारा अन्तःस्थापित.
- *17. संशोधन अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2006 द्वारा प्रतिस्थापित.
- *18. संशोधन अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2006 द्वारा प्रतिस्थापित.

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) नियम 1973

मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अध्यादेश 1973 (3 सन् 1973) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 10-11(i)-73-चार-सत्रह (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण, दिनांक 7 फरवरी, 1973) द्वारा निर्मित तथा मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2006) की धारा 1 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-10-06-2-पचपन (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण, दिनांक 14 जून, 2006) द्वारा संशोधित.

1. **संक्षिप्त नाम.**—ये नियम मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) नियम, 1973 कहलायेंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “प्ररूप” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ख) “अध्यादेश” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अध्यादेश, 1973 (3 सन् 1973);

(ग) “धारा” से अभिप्रेत है अध्यादेश की कोई धारा;

(घ) “अधिकरण” से अभिप्रेत है धारा 6 के अधीन गठित अधिकरण;

3. **आवेदन-पत्र का प्ररूप.**—धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा दी जाने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन-पत्र प्ररूप “क” में दिया जाएगा.

4. **निक्षेप.**—धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किया जाने वाला निक्षेप दस हजार रुपये होगा.

5. **अपील की रीति.**—(1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील—

(क) लिखित में होगी;

(ख) में अपीलार्थी का नाम तथा पता विनिर्दिष्ट किया जावेगा;

(ग) में उस आदेश की तारीख विनिर्दिष्ट की जावेगी जिसके कि विरुद्ध वह (अपील) की गई है;

(घ) में वह तारीख विनिर्दिष्ट की जायेगी जिसको कि अपीलार्थी द्वारा आदेश प्राप्त किया गया हो;

(ङ) में तथ्यों का स्पष्ट कथन समाविष्ट होगा;

(च) में वे आधार विनिर्दिष्ट किये जावेंगे जिन पर कि अपील प्रस्तुत की गई हो;

(छ) में प्रार्थित अनुतोष संक्षेप में कथित किये जायेंगे; तथा

(ज) अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित प्ररूप में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित की जायेगी; अर्थात्—

“मैं, उपरोक्त अपील के ज्ञाप में नामित अपीलार्थी एतद्द्वारा, घोषित करता हूँ कि उसमें जो कुछ कथन किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर”

(2) अपील के साथ उस आदेश की एक अभिप्रमाणित प्रति होगी जिसके कि लिये विरुद्ध अपील की गई हों।

(3) अपील का ज्ञापन दो प्रतियों में होगा और वह या तो अपीलार्थी या उसके अधिकर्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा या ऐसे अधिकरण को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा, जहां अपीलार्थी के अधिकर्ता द्वारा अपील प्रस्तुत की जाये वहां उसके साथ इस निमित्त उसका लिखित प्राधिकार-पत्र होगा।

6. फीस.—धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन देय फीस पांच हजार रुपये होगी।

7. अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.—(1) अधिकरण, अपील की सुनवाई के लिये समय तथा स्थान नियत करेगा और अपीलार्थी तथा अपील में हितबद्ध अन्य किसी व्यक्ति को तीन दिन से अन्यून दिन की सूचना देगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अपील की सुनवाई के लिये नियत की गई तारीख, को या ऐसी पश्चात्तर्विती तारीख को, जिसके लिये अपील स्थगित की जाये, अधिकरण ऐसे व्यक्तियों को, जो उपसंजात हो, सुनवाई करेगा और ऐसी और जांच, यदि कोई हो, के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि करेगा, उसमें फेरफार करेगा या उसे अपास्त करेगा तथा ऐसा कोई परिणामिक या अनुषांगिक आदेश पारित करेगा जो कि न्यायसंगत या समुचित हो।

8. धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र का प्ररूप.—धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्ररूप “ख” में दिया जायेगा।

9. धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन निक्षेप.—धारा की उपधारा (1) के अधीन किया जाने वाला निक्षेप दस हजार रुपये होगा।

10. निक्षेप तथा फीस की संदाय की रीति.—अध्यादेश तथा इन नियमों के अधीन संदेय निक्षेप तथा फीस का संदाय शासकीय खजाने में किया जायेगा तथा शीर्ष “0210—चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य—008 प्रकीर्ण प्राप्तियां” के अधीन आकलित किया जायेगा और खजाने के रसीदी चालान की एक प्रति यथास्थिति; आवेदन-पत्र या अपील के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

11. उस व्यक्ति द्वारा जो चिकित्सीय शिक्षा संस्था चला रहा हो धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार को दी जाने वाली विस्तृत जानकारी प्ररूप “ग” में होगी।

प्ररूप क
(नियम 3 देखिये)

1. प्रस्तावित चिकित्सीय शिक्षा संस्था का नाम
2. उस व्यक्ति का नाम या उन व्यक्तियों के नाम जो उस चिकित्सीय शिक्षा संस्था को स्थापित करने या उसका प्रशासन करने का प्रस्ताव करते हो / करती हो.
3. वह स्थान जहां वह चिकित्सीय शिक्षा संस्था स्थापित करना प्रस्तावित है.
4. प्रस्तावित चिकित्सीय शिक्षा संस्था के लिये चिकित्सीय शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण के ब्यौरे.
5. चिकित्सीय शिक्षा संस्था की स्थापना के लिये कारण
6. प्रभारित की जाने के लिये प्रस्तावित फीस जिसके अन्तर्गत प्रवेश फीस, शिक्षण फीस, खेलकूद फीस, पुस्तकालय फीस तथा अन्य फीस आती है.
7. वह सत्र जिससे कि प्रस्तावित चिकित्सीय शिक्षा संस्था का प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है.
8. प्रस्तावित कर्मचारीवृद्ध तथा उनकी अर्हताएं
9. प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, चिकित्सालय, शल्य-कर्मशाला आदि की सुविधाएं.
10. खेल के मैदान तथा आमोद-प्रमोद संबंधी अन्य सुविधाएं.
11. वह भवन जहां उस चिकित्सीय शिक्षा संस्था का स्थित किया जाना प्रस्तावित है.
12. निधियां
13. प्रस्तावित चिकित्सीय शिक्षा संस्था का विधान
14. उस शासी निकाय की संरचना जिसमें कि प्रस्तावित चिकित्सीय शिक्षा संस्था की संपत्तियां निहित होंगी.
15. प्रारंभ के वर्ष में चिकित्सीय शिक्षा संस्था में प्रवेश दिए जाने हेतु छात्रों की प्रस्तावित संख्या और उनके चयन का आधार.

.....
(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररूप ख
(नियम 8 देखिये)

1. उस चिकित्सीय शिक्षा संस्था का नाम जिसको चालू रखने के लिये अनुज्ञा प्रार्थित है.
2. उस व्यक्ति का नाम या उन व्यक्तियों के नाम जिन्होंने कि चिकित्सीय शिक्षा संस्था स्थापित की है.
3. उस व्यक्ति का नाम या उन व्यक्तियों के नाम जो चिकित्सीय शिक्षा संस्था का प्रशासन करते हो.
4. वह स्थान जहां चिकित्सीय शिक्षा संस्था स्थापित की गई है.
5. चिकित्सीय शिक्षा संस्था में दी जाने वाली चिकित्सीय शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण के ब्यौरे.
6. चिकित्सीय शिक्षा संस्था चालू रखने हेतु कारण
7. चिकित्सीय शिक्षा संस्था में प्रभारित की जाने वाली फीस के ब्यौरे जिसके अन्तर्गत प्रवेश फीस, शिक्षण फीस, खेल-कूद फीस, पुस्तकालय, फीस तथा अन्य फीस आती है.
8. वह सत्र जिससे कि चिकित्सीय शिक्षा संस्था प्रारंभ की गई है.
9. चिकित्सीय शिक्षा संस्था में कार्यरत कर्मचारीवृद उनकी अर्हताओं सहित.
10. प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, चिकित्सालय, शल्य-कर्मशाला आदि की उपलब्ध सुविधाएं.
11. खेल के मैदान तथा आमोद-प्रमोद संबंधी उपलब्ध अन्य सुविधाएं.
12. उस भवन का वर्णन जहां कि चिकित्सीय शिक्षा संस्था स्थित है.
13. चिकित्सीय शिक्षा संस्था की निधियां
14. चिकित्सीय शिक्षा संस्था का विधान
15. उस शासी निकाय की संरचना जिसमें कि चिकित्सीय शिक्षा संस्था की संपत्तियां निहित हैं.
16. चिकित्सीय शिक्षा संस्था के प्रत्येक वर्ग में के छात्रों की संख्या तथा उसकी मूल अर्हताएं.

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररूप ग
(नियम 11 देखिये)

1. चिकित्सीय शिक्षा संस्था का नाम
2. चिकित्सीय शिक्षा संस्था का पता
3. चिकित्सीय शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, आयु, पिता / पति का नाम तथा निवास का पता.
4. चिकित्सीय शिक्षा संस्था की स्थापना की तारीख
5. चिकित्सीय शिक्षा संस्था द्वारा संचालित डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र, पाठ्यक्रम का नाम.
6. चिकित्सीय शिक्षा संस्था की स्थापना की तारीख से जानकारी प्रस्तुत किये जाने की तारीख तक, उन छात्रों के जिन्हें डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र दिया गया है, नाम, पिता का नाम और पते की वर्षवार सूची.
7. प्रथम वर्ष में प्रवेश के पश्चात् अध्ययनरत छात्रों के नाम, पिता के नाम और पते की सूची.
8. चिकित्सीय शिक्षा संस्था में कार्यरत अध्यापन संकाय (टीचिंग फेकल्टी) के नाम, चिकित्सीय और अन्य अर्हताएं तथा पते की सूची.
9. बोर्ड / परिषद् का नाम एवं पता जिसमें चिकित्सीय शिक्षा संस्था संबद्ध है

(हस्ताक्षर)

तारीख

स्थान

घोषणाकर्ता का नाम

पदनाम

चिकित्सीय शिक्षा संस्था की सील